



बिहार विधान परिषद

206वां बजट सत्र

लिखित उत्तर के लिए अल्पसूचित प्रश्न

23 फरवरी 2024

: [शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा - विज्ञान एवं प्रावैधिकी खेल].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 14

आदेश को निरस्त

36. डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि विभागीय आदेश के तहत सूबे के विभिन्न कोटि के हजारों शिक्षकों / कमियों की वेतन -कटौती तथा उनके निलंबन आदेश सामान्य अनुशासन के पालन नहीं किये जाने के आधार पर किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद -19 के तहत संघ -संगठन की सदस्यता तथा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं लगाया जा सकता जबकि विभाग द्वारा लगातार संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे शिक्षकों अथवा कर्मियों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के आलोक में उनके वेतन-कटौती, पेंशन बंदी के साथ-साथ निलंबन आदेश को निरस्त करना चाहती है , नहीं तों क्यों?

मानदेय का भुगतान कब तक

37. मो. फारूक (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिले के विभिन्न उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का नियोजन होने के बाद से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षकों को भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अतिथि शिक्षकों का मानदेय की भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

व्यवस्था अविलंब

38. प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के लिए समुचित शौचालय, सेनेटरी नैपकिन एवं बेंडिंग मशीन का द्योर अभाव है, जिसपर पटना हाईकोर्ट काफी सख्त है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के ऐसे स्कूल जहाँ 2070 छात्राओं के लिए सिर्फ दो शौचालय एवं 1075 छात्राओं के लिए तीन में से मात्र एक शौचालय उपयोग में है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के बालिका विद्यालयों में शौचालय, सेनेटरी, नैपकीन एवं बेंडिंग मशीन की व्यवस्था अविलम्ब करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, ही तो क्यों?

भवन का निर्माण

39. डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिले के मुख्यालय स्थित जिला स्कूल सहरसा का छात्रावास भवन काफी जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि इन जर्जर भवन के कारण छात्रावास में रह रहे बच्चे भय के माहौल में रहते हैं;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला स्कूल सहरसा के छात्रावास के नये भवन के निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो

कबतक, नहीं तो क्यों?

कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था

40. प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के संस्कृत उच्च विद्यालय संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि इन संस्कृत उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार द्वारा साईकिल, पोशाक एवं अन्य योजना का लाभ दिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि इन छात्रों को पढ़ने के लिए उक्त विद्यालय में भवन एवं उपस्कर का घोर अभाव है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार इन संस्कृत विद्यालयों में भी समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से भवन, उपस्कर एवं कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था करना चाहती है?

उर्दू क्लास की व्यवस्था

41. श्री मो. सोहैब (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि उर्दू राज्य की द्वितीय राज्यभाषा है ;

(ख) क्या यह सही है कि स्कूलों में पढाई का रूटीन सरकार की ओर से जारी किया जाता है ;

(ग) क्या यह सही है कि पहली से पांचवे क्लास तक सरकार द्वारा निर्गत रूटीन में उर्दू भाषा का एक भी क्लास शामिल नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार स्कूलों में एक से पांच तक के क्लासों के रूटीन में उर्दू के क्लास की व्यवस्था करना चाहती है यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सरकारी डिग्री कॉलेज का स्थापना

42. श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के रजौली अनुमंडल अंतर्गत एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र – छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तीस कि०मी०की दूरी तय कर नवादा शहर पढने आना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के हित में रजौली अनुमंडल अंतर्गत सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?

ऐच्छिक स्थानांतरण

43. श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में महिला शिक्षिकाएं विगत 10 वर्षों से एक ही स्थान पर पटना के सुदूर देहात इलाके में अपने घर से 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सहायक शिक्षिका पद पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अधिकांश महिला शिक्षिकाएं प्रतिदिन इतनी दूरी तय कर शैक्षणिक कार्य करने में काफी कठिनाई एवं असहज महसूस करती हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार के नियमानुसार महिला शिक्षिकाओं के पदस्थापन उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान है लेकिन इसका अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को मूल कोटि की सहायक शिक्षक/ शिक्षिकाओं का रिक्त पद समाप्त हो जाता है ;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महिला शिक्षिकाओं का ऐच्छिक स्थानांतरण करने का नीतिगत फैसला लेने का विचार रखती है यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?

बच्चों की शिक्षा सरकारी विद्यालय में अनिवार्य

44. श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में कार्यरत सभी राज्य / केन्द्रीय सेवाओं में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा निजी विद्यालय में होती है;

(ख) क्या यह सही है कि अगर सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चें सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें तो सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार हो सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा सरकारी विद्यालय में अनिवार्य करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त कब तक

45. श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलांतर्गत प्रखंड बनियापुर में एम.डी.हाई स्कूल स्थित है,

(ख) क्या यह सही है की उक्त विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण कतिपय तत्वों द्वारा खेल के मैदान का अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की चारदीवारी निर्माण कराने के साथ अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों

वेतन निर्धारण

46. प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि क्या पश्चिम चम्पारण जिले के बैरिया प्रखंड के अतिरिक्त अन्य जिलों में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं हुआ है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' उत्तर स्वीकारात्मक है, तो शिक्षकों का वेतन निर्धारण करके वेतन भुगतान की प्रक्रिया कब तक सम्पन्न होगी यदि नहीं तो क्यों ?

वेधशाला का निर्माण

47. श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या विज्ञान एवं प्रावैधिकी मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क) क्या यह सही है कि 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तैरना खगौल एवं तरेगना टॉप (बिहटा) के 30 किलोमीटर लंबी खगोलीय त्रिकोण को विकसित करने हेतु तरेगना (मसौढ़ी) में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड (क) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार है तरेगना वेधशाला निर्माण के संबंध में सदन को अद्यतन जानकारी देना चाहती है यदि हां तो कब तक?

कम्पोजिट ग्रांट की उपलब्धता

48. श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत 07 अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में से केवल महारानी संस्कृत प्रा० सह मध्य विद्यालय , खुदौरी को सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा कम्पोजिट ग्रांट दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस संदर्भ में प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, जहानाबाद द्वारा पात्रांक 32 दिनांक 19.12.2023 जारी कर जिला शिक्षा पदाधिकारी , जहानाबाद को उन शेष 06 संस्कृत विद्यालयों को कम्पोजिट ग्रांट देने हेतु नियमानुसार जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया परंतु इस संबंध में अब तक कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं की गई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जहानाबाद जिले के शेष 06 अनुदानित संस्कृत विद्यालयों को कम्पोजिट ग्रांट उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक?

विद्यालय का जीर्णोद्धार

49. डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (10+2) सरदार बिगहा, प्रखंड नूरसराय, जिला – नालंदा, पिन – 803113 की स्थिति अत्यंत ही जीर्ण-शीर्ण है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष – 2014 में दिनांक – 13.02.2014 को माध्यमिक विद्यालय कोड – 72340 मिला तथा वर्ष – 2020 में इंटरमीडिएट का कोड – 12217 भी मिल चुका है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा मुख्य अभियंता (BSEIDC) पटना के द्वारा 35,78,302.50 (पैंतीस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ दो रुपए पचास पैसे) रुपए का Estimate उक्त विद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु बनाया गया है, लेकिन राशि उक्त विद्यालय को उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय का जीर्णोद्धार अबतक नहीं हो पाया है;

(घ) क्या यह सही है कि दिनांक – 20.12.19 को प्रधानाध्यापक द्वारा एक पत्र ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार को दिया गया दिनांक – 26.12.2019 को पत्रांक – 26-25/अ० द्वारा मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया, पुनः मुख्य अभियंता के पत्रांक – 2961, दिनांक – 03.06.2020 द्वारा 35,78,302.50 का Estimate बनाया गया लेकिन संबंधित विद्यालय को यह राशि अबतक उपलब्ध नहीं कराई गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यहित, छात्रहित एवं शिक्षकों के हित में यथाशीघ्र संबंधित विद्यालय को राशि उपलब्ध कराते हुए विद्यालय का जीर्णोद्धार अविलम्ब कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?
